तारीख हुक्म	
	12.10.2023
	प्रार्थी कलावती आदि की तरफ से श्री हवा सिंह प्रतिनिधि ने पत्रावली पेशी से लिए जाने बाबत एवं प्रा.पत्र आ. 22 नि. 3 एवं सहपठित धारा 151 CPC मय वकालतनामा पेश करने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। वकील रेस्पो. नं. 7 उपस्थित। वकील पक्षकारान की प्रा.पत्र आ. 22 नि. 3 एवं सहपठित धारा 151 CPC पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने आवेदित में उक्त प्रा.पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया कि वकील रेस्पो. नं. 7 ने उक्त प्रा.पत्र स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की। उक्त प्रा.पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि रेस्पो. नं. 7 ने उक्त प्रा.पत्र स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की, अतः उक्त प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपीलांट के वारिसान को बतौर अपीलांट नं. 1/1 से 1/5 बनाया जाता है जिनका इन्द्राज लाल स्याही से अपील मीमो में किया जावे। इसके उपरांत वकील अपीलांट ने पत्रावली प्रा.पत्र वापिस पेश किया को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहता है। वकील अपीलांट ने उक्त प्रा.पत्र के साथ फार्म नं. 3 सहित दावा नं. 430/2021 उनवान [illegible] बनाम कृष्णा देवी की आदेशिका दि. 1.4.2021 से 26.9.2023 तक की कार्ड तहसीलदार की प्रमाणित फोटो कॉपी की प्रतिलिपि पेश की है, जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि मूल दावा दिनांक 26/9/2023 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। जब मूल दावा ही खारिज हो चुका है तो धारा 212 RTA के विरुद्ध प्रस्तुत यह अपील स्वतः ही निष्प्रभावी हो चुकी है, अतः अपील अपीलांटगण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो। [illegible]
	12/10/23
	राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़